1	2	3	4
4.	Rajasthan	7050	7210
5.	Jammu & Kashmir	7050	7210
6.	Delhi	6790	7110
7.	Maharashtra (Bombay, Mahim, etc.. Rest of Maharashtra	6980 6680	7300 7000
8.	Madhya Pradesh	6680	7000
9.	Gujarat (Kandla/ Rozi/Okha/ Bhavnagar)* Rest of Gujarat	6980 6680	7300 7000
10.	Kerala (Cochin, etc.,)' Rest of Kerala	6980 6680	7300 7000
11.	Tamil Nadu (Madras, Cuddalore, Tuticorin, Pondicherry)* Rest of Tamil Nadu	6980 6680	7300 7800
12.	Karnataka (Old/ New Mangalore, Karwar etc.)* Rest of Karnalaka	6980 6680	7300 7000
13.	Andhra Pradesh (Kakinada, Vizag)* Rest of Andhra Pradesh	6980 6680	T300 7000
14.	West Bengal (Calcutta, Haldia)* Rest of West Bengal	6980 6680	7300 7000
15.	Orissa (Paradeep)' Rest of Orissa	7040 6740	7350 7050
16.	Bihar	6680	7000

* These rates would be applicable within 50 kms. from the port as well as in the case of dedicated movement by rail undertaken by the FCI towards port town godowns/rail heads or any other destination (e.g. in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal etc.,). where sales/deliveries would be effected by FCI as desired by the exporters.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने के आदेश

1364. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग और विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों ने आदेश दिया है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिया जाये,

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान देश भर के सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए मुआवजे की राशि के बारे में कोई आंकडे सकलित किए है,

(ग) क्या सरकार सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने के मामलों में मुआवजे की राशि को राजकोष के स्थान पर संबधित अधिकारियों के वेतन से वसूल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग)(श्री विनोद शर्मा): (क)और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित न्यायालय प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार फैसला करने में सक्षम है । केन्द्रीय सरकार देश भर में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध मे कोई समेकित आंकड़े नहीं रखती है ।

(ग) और (घ) इस समय इस संबंध में इन नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या जब कभी न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय किया जाता है तो संबधित विभाग विद्यमान नियमों के तहत कार्रवाई करता है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ

1365. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुकल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम गत तीन वर्षों से लाभ कमा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्यया राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो इस संबधं में ब्यौरा क्या है